रजिस्ट्री सं० डी०एल०-33004/96 REGD. NO. D.L.-33004/96

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खंड (i)
PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं० 447] नई दिल्ली, मंगलवार, दिसम्बर 31, 1996/पौष 10, 1918
No. 447] NEW DELHI, TUESDAY, DECEMBER 31, 1996/PAUSA 10, 1918

जल-भूतल परिवहन मंत्रालय

(पत्तन पक्ष)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 31 दिसम्बर, 1996

सा. का. नि. 598 (अ).—केन्द्र सरकार, महापत्तन न्यास अधिनियम, 1963 (1963 का 38) की धारा 132 की उपधारा (1) के साथ पठित धारा 124 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, मुंबई पत्तन न्यासी मण्डल द्वारा बनाए गए और इस अधिसूचना के साथ संलग्न अनुसूची में मुंबई पत्तन न्यास कर्मचारी (आवास ऋण) विनियम, 1996 का अनुमोदन करती है।

2. उक्त विनियम इस अधिसूचना के सरकारी राजपत्र में प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे।

[फा. सं. पी. आर.-12016/23/96-पी. ई. 1]
के. वी. राव, संयुक्त सचिव

अनुसूची

महापत्तन न्यास अधिनियम, 1963 की धारा 28 के खण्ड (ख) में प्रदान शक्तियों के प्रयोग में उपर्युक्त अधिनियम की धारा 124 की उपधारा (1) के तहत केंद्र सरकार के अनुमोदन से मुंबई पोर्ट ट्रस्ट के न्यासी मंडल, मुंबई पोर्ट ट्रस्ट कर्मचारी आवास ऋण विनियमों में संशोधन करने के लिए निम्नलिखित विनियम बनाता है, अर्थात्—

1. संक्षिप्त शीर्षक एवं प्रारंभ—

(1) इन विनियमों को मुंबई पोर्ट ट्रस्ट कर्मचारी आवास ऋण (संशोधन) विनियम, 1996 कहा जाए।

(2) उन्हें केन्द्र सरकार की मंजूरी शासकीय राजपत्र में प्रकाशित होने की तिथि से लागू किया जाएगा।

2. मुंबई पोर्ट ट्रस्ट कर्मचारी आवास ऋण विनियमों में—

(1) विनियम 2 में "की स्वनिर्णय से" शब्द के बाद "उपाध्यक्ष, अथवा" ये शब्द लिखें।

(2) वर्तमान विनियमों में जहां भी "बॉम्बे" शब्द है, उसकी जगह पर "मुंबई" का प्रयोग करें।

टिप्पणी : मुंबई पोर्ट ट्रस्ट कर्मचारी आवास ऋण विनियमों का प्रमुख विनियम शासन के दिनांक 2-12-1972 की पत्र सं. 8-पी. ई. (42)/71 द्वारा मंजूर किया है। विनियमों के अनुवर्ती संशोधन 31-10-1979 के असाधारण राजपत्र के भाग II, खंड 3, उपखंड (i) में प्रकाशित हुए और जिसके द्वारा न्यूनतम मजदूरी (केन्द्रीय) नियम 1950 के नियम 21 (2) में संशोधन किया गया, वह श्रम मंत्रालय की 21 जून, 1980 की अधिसूचना क्र. एस-320/2(2)/73-डब्ल्यू सी (न्यू. मज.) 21 जून, 1980 के भारत के राजपत्र के भाग II, खंड 3(i) में जी.एस. आर. 676 के तहत प्रकाशित हुई।

MINISTRY OF SURFACE TRANSPORT

(Ports Wing)

NOTIFICATION

New Delhi, the 31st December, 1996

G.S.R. 598(E).—In exercise of the powers conferred by Sub-section (1) of Section 124, read with Sub-section (1) of Section 132 of the Major Ports Act, 1963 (38 of 1963), the Central Government hereby approves the Mumbai Port Trust Employees (Housing Loans) Amendment Regulations, 1996 made by the Board of Trustees for the Port of Mumbai and set out in the Schedule annexed to this notification.

2. The said regulations shall come into force on the date of publication of this notification in the Official Gazette.

[F. No. PR-12016/23/96-PE-I]
K. V. RAO, Jt. Secy.

SCHEDULE

In exercise of the powers conferred by Clause (b) of section 28 of the Major Port Trusts Act, 1963, the Board of Trustees of the Port of Mumbai with the approval of the Central Government under sub-section (1) of section 124 of the said Act, hereby make the following regulations to amend the Mumbai Port Trust Employees Housing Loans Regulations, namely—

1. Short title and commencement—

(1) These regulations may be called the Mumbai Port Trust Employees Housing Loans (Amendment) Regulations, 1996.

(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. In the Bombay Port Trust Employees Housing Loans Regulations—

(1) In Regulation 2, after the words "at the discretion of" insert the words "Dy. Chairman or"

(2) Substitute the word 'Mumbai' for 'Bombay' appearing at all places in the extant Regulations.

Foot Note : The Principal regulations of BPT Employees Housing Loan Regulations sanctioned by Government under letter No. 8-PE (42)/71 dated 2-12-1972. Subsequent amendments to the regulations were published in the extraordinary Gazette of India Part II, Section 3, Sub-section (i) dated 31-10-1979 and the Labour Ministry's Notification No. S-320/2(2)/73-WC (MW) dated 21st June, 1980 amending Rule 21 (2) of Minimum Wages (Central) Rules, 1950 was published in the Gazette of India, Part II, Section 3(i) under GSR 676 dated 21st June, 1980 respectively.

Printed by the Manager, Govt. of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054— 1997